

Form No. III**फर्द—अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

तहसीलदार निम्बाहेडा

बनाम

मदनलाल

कार्यवाही अन्तर्गत :- **नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रार्थना-पत्र

नं०

004

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। वकील अप्रार्थी हाजिर। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक/एलआर/निग/2025/7567/चित्तौड़गढ़/16.01.2026/13440 दिनांक 09.09.2025 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.02.2025 के संबंध में निगरानी प्रस्तुत होने से मूल पत्रावली तलब की गई है, अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में कार्यवाही स्थगित की जाकर पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा की मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 529/2021 निर्णय दिनांक 25.11.2021 जो कि न्यायालय हाजा की पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा की मूल पत्रावली भी माननीय न्यायालय भिजवाई जावें। न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने से हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में मूल पत्रावली प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावें। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-ह०- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 08.10.2025</p> 	